युनियन ऑफ इण्डिया

बनाम

केशर सिंह

अप्रैल 20, 2007

(डॉक्टर अरिजीत पसायत एवं लोकेश्वर सिंह पंता, जे.जे.)

सेवा कानूनः पेंशन विनियम, 1961:

1- विनियम 49, परिशिष्ट II, सपठित पैरा 7 (सी) पैरा 7 (बी)और विनियम 423-सेना-विकलांगता पेंशन- के लिए दावा - अभिव्यक्ति " सेवा के लिए जिम्मेदार "-सेना में राइफलमैन- सेवा से बाहर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर कि सैनिक सिज़ोफ्रेनिया से पीडित था- मेडिकल बोर्ड की यह भी राय थी कि सैन्य सेवा में प्रवेश करने से पहले विकलांगता मौजूद नहीं थी, लेकिन सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं था- अतः विधिक स्थिति के अनुसार व मेडिकल बोर्ड की स्थिति एवं राय को देखते हुए, यह निर्धारित किया कि सैनिक विकलांगता पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था - सशस्त्र बल-सेना-विकलांग पेंशन।

2- मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर प्रत्यर्थी को सेना से छुट्टी दे दी गई, जिसने सेना में बने रहने के लिए उसकी गैर-उपयुक्तता का संकेत दिया क्योंकि वह सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था, और राय दी कि सेवा में प्रवेश

करने से पहले विकलांगता मौजूद नहीं थी और सेवा से जुड़ा नहीं था। उसकी अपील को अपीलीय प्राधिकरण ने खारिज कर दिया था। उसने एक रिट याचिका दायर की और एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ ने विशेष अपील में 7 (बी) पेंशन विनियम, 1961 के विनियम 48 में निर्दिष्ट परिशिष्ट ii के अनुसार पैरा पर बल प्रदान करते हुए प्रत्यर्थी को विकलांगता पेंशन का हकदार माना।

3- भारत संघ द्वारा दायर अपील में, यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय ने परिशिष्ट II के पैरा 7 (सी) और अधिनियम के विनियम 423 नियम को नजरअंदाज कर दिया।

4- अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने तय किया-

1.1 . पेंशन विनियम, 1961 के विनियम 48 में निर्दिष्ट परिशिष्ट II के पैरा 7 का खंड (सी) यह स्थिति स्पष्ट करता है कि यदि किसी बीमारी को सेवा में उत्पन्न होने के रूप में स्वीकार किया जाता है तो यह भी स्थापित किया जाना चाहिए कि सैन्य सेवा की शर्तों ने बीमारी की शुरूआत में निर्धारण या योगदान किया है ओर यह स्थितियां सैन्य सेवा में कर्तव्य की परिस्थितियों के कारण हैं। इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है।

1.2 . इसके अलावा, विनियमन 423 "सेवा के लिए जिम्मेदार" शब्दों की व्याख्या करता है और यह निर्धारित करता है कि किसी बीमारी

के परिणामस्वरूप होने वाली विकलांगता या मृत्यु का कारण सेवा के लिए जिम्मेदार माना जाएगा जब यह स्थापित हो जाएगा कि बीमारी सेवा के दौरान उत्पन्न हुई और सशस्त्र बलों में बीमारी की शुरूआत में परिस्थितियां निर्धारण या योगदान करती है ओर यह स्थितियां सैन्य सेवा में कर्तव्य की परिस्थितियों के कारण हैं। यह स्थापित करना आवश्यक है कि क्या विकलांगता या मृत्यु का सेवा शर्तों के साथ उचित संबंध था। चिकित्सा बोर्ड/चिकित्सा अधिकारी की राय, जहां तक यह विकलांगता या मृत्यु के वास्तविक कारण से संबंधित है और जिन परिस्थितियों में यह उत्पन्न हुई है, उन्हें अंतिम माना जाएगा। हस्तगत मामले में, मेडिकल बोर्ड की राय स्पष्ट रूप से इस आशय की थी कि सैनिक जिस बीमारी से पीड़ित था वह सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं था।

1.3 . कानूनी स्थिति और चिकित्सा बोर्ड की राय के अनुसार एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ दोनों अपने-अपने निष्कर्षों में न्यायोचित नहीं थे। प्रत्यर्थी विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, प्रत्यर्थी को विकलांगता पेंशन के माध्यम से जो भुगतान कर दिया गया है वह वसूल नहीं किया जावेगा।

5- भारत संघ एवं अन्य बनाम बलजीत सिंह (1996) 11 एससीसी 315, युनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य बनाम धीरसिंह चिना कर्नल (

रिटायर्ड), (2003) 2 SCC 383 और रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) और अन्य बनाम वी. एस. बालचंद्र नायर, [2005] 13 एस. सी. सी. 128, पर भरोसा किया।

सिविल अपील क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं.762।/2001

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्पेशल अपील नम्बर 812/1998 में दिनांक 22.09.1998 में पारित निर्णय व आदेश से।

आर. मोहन, ए. एस. जी., वी. मोहना, रजनी सिंह, आर. सी. काठिया और बी. वी. बलराम दास अपीलार्थियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय जिसके द्वारा पारित किया गया

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1- अपीलार्थी द्वारा एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के विरूद्घ दायर विशेष अपील को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा खारिज करने पर इस अपील के माध्यम से चुनौति दी गई। विवाद एक बहुत ही संकीर्ण दिशा के भीतर निहित है अर्थात क्या प्रत्यर्थी विकलांगता पेंशन के लिए पात्र है।

2- वर्तमान विवाद को जन्म देने वाले पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार से हैंः

प्रत्यर्थी को दिनांक 15.11.1976 को राइफलमैन के रूप में नामांकित

किया गया था और दिनांक 18.10.1986 से सेना की सेवा से अलग कर दिया गया। यह पाया गया कि वह स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ने सेना में बने रहने के लिए उसकी अनुपयुक्तता का संकेत दिया। मेडिकल बोर्ड ने राय दी कि सेवा में प्रवेश करने से पहले विकलांगता मौजूद नहीं थी और यह सेवा से जुड़ा नहीं था। सक्षम अपीलीय प्राधिकारिता के समक्ष एक अपील दायर की गई थी जिसे दिनांक 16.4.1989 को खारिज कर दिया गया था। प्रत्यर्थी ने एक रिट याचिका दायर की जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया गया और जैसा कि आक्षेपित निर्णय जिसका ऊपर उल्लेख किया गया था, विशेष अपील को खारिज कर दिया गया था। दोनों विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि सेना सेवा में प्रवेश करने के समय यह उल्लेख नहीं किया गया था कि प्रत्यर्थी सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था और इसलिए यह सेना सेवा के लिए जिम्मेदार था। दोनों विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच ने पेंशन विनियम 1961 के विनियम 48,173 और 185 में निर्दिष्ट परिशिष्ट II के पैरा 7 (बी) को संदर्भित करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी बीमारी के कारण व्यक्ति को सेवा से बाहर किया जाता है तो इसे सामान्य रूप से सेवा के दौरान उत्पन्न होना माना जाएगा, यदि व्यक्ति की सैन्य सेवा की स्वीकारोक्ति के समय इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी विकलांगता पेंशन का

हकदार था।

3- अपील के समर्थन में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों ने पैरा 7 (सी) को नजर अंदाज किया है । 7 (बी) और 7 (सी) दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिये। वे इस प्रकार पढ़ते हैं "

"7(b) एक बीमारी जिसके कारण व्यक्ति सेवा से बाहर हो जाता है या मृत्यु से तो यह माना जायेगा कि वह उसकी सेवा के दौरान अस्तित्व में आये है यदि इसका अंकन व्यक्ति की सैन्य सेवा की स्वीकृति के समय नहीं किया गया था।

हालाँकि, यदि चिकित्सकीय राय में बताए जाने वाले कारणों से कि चिकित्सा जांच में बीमारी का सेवा के लिए स्वीकृति से पहले पता नहीं चल सका था, तो बीमारी को सेवा के दौरान उत्पन्न होना नहीं माना नहीं जावेगा।

7(c) यदि किसी बीमारी को सेवा के दौरान उत्पन्न होने के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो यह भी स्थापित किया जाए कि सैन्य सेवा की शर्तों ने बीमारी की शुरूआत में निर्धारण या योगदान किया है ओर यह स्थितियां सैन्य सेवा में कर्तव्य की परिस्थितियों के कारण हैं।

4- प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है।

5- उपरोक्त प्रावधान को केवल मात्र पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आम तौर पर यदि किसी बीमारी के कारण व्यक्ति को नौकरी से बाहर कर दिया जाता है तो इसे सामान्य रूप से सेवा में उत्पन्न होना माना जाएगा यदि सैन्य सेवा के लिए व्यक्ति की स्वीकोरोक्ति के समय इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि, एक अपवाद बताया गया है, यानि यदि चिकित्सकीय राय में कहा गया है कि सेवाएं स्वीकार करने से पहले चिकित्सा परीक्षा बोर्ड द्वारा बीमारी का पता नहीं लगाया जा सकता था, तो सेवा के दौरान, बीमारी को उत्पन्न होना नहीं माना जावेगा। इसी तरह, नियम 7 का खंड (सी) यह स्थिति स्पष्ट करता है कि यदि किसी बीमारी का सेवा में रहने के दौरान उत्पन्न होने के रूप में स्वीकार किया जाता है तो यह भी स्थापित किया जाना चाहिए कि सैन्य सेवा की शर्तों ने रोग की शुरुआत में निर्धारण या योगदान किया हैं और यह स्थितियां कर्तव्य की परिस्थितियों के कारण हैं। इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है।

6- विद्वान ए. एस. जी. द्वारा पेंशन विनियमों के लिए भी संदर्भ दिया गया।ऐसे विनियमों का नियम 173 इस प्रकार से हैः

विकलांगता पेंशन के अनुदान के लिए प्राथमिक शर्तेंः

"173. जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से प्रदान ना किया गया हो, विकलांगता पेंशन उस व्यक्ति को दी जा सकती है जो सैन्य

सेवा के कारण या उसके कारण बढी हुई विकलांगता के कारण सेवा से अमान्य हो गया हो ओर जिसका मूल्यांकन 20 प्रतिशत या उससे अधिक हो।

प्रश्न यह है कि क्या कोई विकलांगता सैन्य सेवा के कारण होती है या बढ़ जाती है, तो परिशिष्ट II में नियम के तहत निर्धारित किया जाएगा।

परिशिष्ट-2 में प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

"2. विकलांगता या मृत्यु को सैन्य सेवा के कारण स्वीकार किया जाएगा। बशर्ते यह प्रमाणित हो कि

(क) विकलांगता घाव, चोट या बीमारी के कारण होती है जो

(i) सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार है; या

(ii) सैन्य सेवा से पहले अस्तित्व में था या उसके दौरान उत्पन्न हुआ है और इससे बढ़ा हुआ है;

(ख) मृत्यु निम्न कारणों से या शीघ्रता से हुई थी

(i) कोई घाव, चोट या बीमारी जिसका कारण सैन्य सेवा हो,या

(ii) सैन्य सेवा के दौरान किसी घाव, चोट या बीमारी का बढ़ना।

बीमारी जो सैन्य सेवा से पहले ही मौजूद थी या सैन्य सेवा के

दौरान उत्पन्न हुई थी।

नोट - इस नियम में सेवा से बर्खास्तगी/ अमान्य होने के बाद मृत्यु के मामले भी शामिल हैं।

3. विकलांगता या मृत्यु के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए और सैन्य सेवा बढी हुई विकलांगता या मृत्यु स्वीकार की जानी चाहिए।

4. पात्रता के मुद्दे पर निर्णय लेने में सभी साक्ष्य, दोनों प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य, को ध्यान में रखा जाएगा और दावेदार को उचित संदेह का लाभ दिया जाएगा। यह फायदा क्षेत्र सेवा मामले में दावेदार को अधिक उदारता से दिया जायेगा है।

7- नियम 423 को भी परिभाषित करने की आवश्यकता है। वह इस प्रकार से हैः

"423 सेवा की विशेषताएँः

(a) यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या विकलांगता या मृत्यु सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या विकलांगता या मृत्यु का कारण किस क्षेत्र में हुआ, क्षेत्र सेवा/सक्रिय सेवा क्षेत्र या सामान्य शांति की स्थिति वाले क्षेत्र में। हालाँकि, यह स्थापित करना आवश्यक है कि क्या विकलांगता या मृत्यु का सेवा के साथ उचित

संबंध था। प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य दोनों तरह के सभी साक्ष्य को ध्यान में रखा जाएगा और उचित संदेह का लाभ, यदि कोई हो व्यक्ति को दिया जायेगा । स्वीकार किए जाने वाली उचित संदेह की साक्ष्य को इन निर्देशों के उद्देश्य के लिए उचित दृढ़ता की एक डिग्री हो, जो हालांकि निश्चितता तक नहीं पहुंच रही है, फिर भी उच्च स्तर की संभावना है। इस संबंध में ,यह याद रखा जाएगा कि सबूत उचित संदेह से परे है। सन्देह का अर्थ संदेह की छाया से परे प्रमाण नहीं है। अगर साक्ष्य एक व्यक्ति के खिलाफ इतना मजबूत है कि केवल उसके पक्ष में दूरस्थ छोड़ देने की संभावना है, जिसे इस वाक्य के साथ खारिज किया जा सकता है"बेशक यह संभव है लेकिन कम से कम संभावना में नहीं" मामला उचित संदेह से परे साबित होता है। अगर दूसरी तरफ, सबूत इतना समान रूप से संतुलित है कि प्रस्तुत करने के लिए अव्यावहारिक एक निश्चित निष्कर्ष एक या दूसरे तरीके से निकलता है, तो ऐसे मामले जो क्षेत्र सेवा/सक्रिय सेवा क्षेत्र के है, में संदेह का लाभ व्यक्ति को अधिक उदारता से दिया जाना चाहिये।

(b) घाव या चोट के परिणामस्वरूप विकलांगता या मृत्यु का कारण हो तो उसे सेवा के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, यदि घाव या चोट सशस्त्र बलों में "कर्तव्य" के वास्तविक प्रदर्शन के दौरान बने रहते है। चोटों के मामले में जो स्वकारित है या कर्तव्य के दौरान व्यक्ति की गंभीर लापरवाही या कदाचार से कारित हो , तो बोर्ड यह भी टिप्पणी करेगा कि

विकलांगता किस हद तक स्वकारित,लापरवाही या दुराचार का परिणाम है।

(c) किसी बीमारी के परिणामस्वरूप होने वाली विकलांगता या मृत्यु का कारण सेवा के लिए जिम्मेदार माना जाए जब यह स्थापित किया जाता है कि बीमारी सेवा के दौरान उत्पन्न हुई ओर सैन्य सेवा की शर्तों ने रोग की शुरुआत में निर्धारण या योगदान दिया हैं। जिन मामलों में यह स्थापित किया गया कि सेवा की शर्तें बीमारी को शुरुआत करने में कोई निर्धारण या योगदान नहीं करती है, लेकिन रोग के बाद की अवधि को प्रभावित करती है, तो बीमारी को सेवा द्वारा बढा हुआ माना जाएगा। एक बीमारी जो किसी व्यक्ति को सेवा से बाहर करने का या मृत्यु का कारण बनी है तो यह माना जावेगा कि बीमारी आम तौर पर सेवा के दौरान उत्पन्न हुई है अगर सशस्त्र बलों में सेवा के लिए व्यक्ति की स्वीकृति के समय इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था। हालाँकि, यदि चिकित्सकीय राय में कहा गया है कि सेवा के लिए स्वीकृति से पहले चिकित्सकीय परीक्षण पर बीमारी का पता नहीं चल सकता था, तो बीमारी को सेवा के दौरान उत्पन्न होना नहीं माना जाएगा।

(d) यह प्रश्न, कि क्या कोई विकलांगता या मृत्यु सेवा के कारण है या सेवा के कारण बढ़ी है या नहीं, इसके चिकित्सकीय पहलुओं के संबंध में एक चिकित्सा बोर्ड या मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा तय किया जाएगा। चिकित्सा बोर्ड/चिकित्सा अधिकारी

अपनी राय के कारण बताएगा। चिकित्सा बोर्ड/चिकित्सा अधिकारी की राय, जहां तक यह विकलांगता या मृत्यु के वास्तविक कारण से संबंधित है और जिन प/रिस्थितियों में यह उद्भूत हुई है, उन्हें अंतिम माना जाएगा। हालाँकि, यह सवाल कि क्या कारण और परिचारक परिस्थितियों को सेवा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तथापि यह पेंशन मंजूरी देने वाले प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा।

(e) अमान्य होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा बोर्ड की सहायता के लिए, सी. ओ. इकाई निम्न रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी -

(i) ए. एफ. एम. एस. एफ-81 चोटों के अलावा अन्य सभी मामलों में।

(ii) आई. ए. एफ. वाई.-2006 युद्ध की चोटों के अलावा अन्य चोटों के सभी मामलों में,

(f) उन मामलों में जहां पुरस्कार या पुनर्मूलयांकन विकलांगता पेंशन से संबंधित है, वहां एक मेडिकल बोर्ड का होना आवश्यक है ओर एक चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा उन स्टेशनों के मामले को छोड़कर जहां इस तरह के उद्देश्यों के लिए एक नियमित चिकित्सा बोर्ड का गठन होना संभव या व्यवहार्य नहीं है। एक एकल चिकित्साधिकारी द्वारा बाद के मामले में जारी प्रमाण पत्र मेडिकल

बोर्ड के फार्म पर और ए. डी. एम. एस. (सेना)/द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।

डीएमएस (नौसेना)/डीएमएस (वायु)।

8. भारत संघ और ए. एन. आर. वी. बलजीत सिंह, [1996] 11 एस. सी. सी. 315 इस न्यायालय ने पेंशन विनियमों के नियम 173 पर ध्यान दिया था। यह देखा गया कि जहाँ चिकित्सा बोर्ड ने पाया कि सैन्य सेवा के कारण चोट/बीमारी होने या उसके कारण बने रहने के प्रमाण का अभाव था, वहाँ उच्च न्यायालय का सरकार को विकलांगता पेंशन का भुगतान करने का निर्देश देना सही नहीं था। इसे अन्य बातों के साथ इस प्रकार देखा गयाः

> "6 ..... यह देखा गया है कि नियमों के तहत दिशानिर्देशों में विभिन्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं कि कब बीमारी या चोट सैन्य सेवा के लिये जिम्मेदार है, यह देखा गया है कि नियम 173 के तहत विकलांगता पेंशन की गणना केवल तभी की जाएगी जब सैन्य सेना के कारण घाव, चोट या बीमारी के कारण विकलांगता हुई हो, जो सेवा से पहले या उसके दौरान उत्पन्न हुई और सैन्य सेवा के दौरान बढ़ गयी ओर बनी हुई है। अगर ये शर्तें संतुष्ट हैं, तो अनिवार्य रूप से पदधारी विकलांगता पेंशन का हकदार है। यह पैरा 7 के खंड (ए) से (डी) तक काफी स्पष्ट किया गया है, जो इस बात पर विचार करता है कि किसी बीमारी

के संबंध में उसके तहत उल्लिखित नियमों का पालना किया जाना आवश्यक है। खंड (ग) में प्रावधान है कि यदि किसी बीमारी को सेवा में उत्पन्न होने के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो यह भी स्थापित किया जाना चाहिए कि सैन्य सेवा की शर्तों ने बीमारी की शुरुआत में निर्धारण या योगदान दिया और यह कि परिस्थितियाँ सैन्य सेवा में कर्तव्य की परिस्थितियों के कारण थीं। जब तक इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि चोट का निर्वाह स्वयं सैन्य सेवा के कारण है। मेडिकल बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स की रिपोर्ट को देखते हुए, यह सैन्य सेवा के कारण नहीं है। हो सकता है कि यह संतोषजनक निष्कर्ष न निकला हो यद्यपि चोट सेवा के दौरान लगी थी, लेकिन यह सैन्य सेवा के कारण नहीं थी। प्रत्येक मामले में, जब एक विकलांगता पेंशन का दावा किया जाता है, तो यह एक तथ्य के रूप में सकारात्मक रूप से स्थापित किया जाना चाहिए कि क्या लगी चोट सैन्य सेवा के कारण थी या बढ़ी थी जिसने सैन्य सेवा को अमान्य करने में योगदान दिया।

9. भारत संघ और अन्य बनाम धीर सिंह चीन, कर्नल (सेवानिवृत्त), [2003] 2 एस. सी. सी. 382 में इस स्थिति को फिर से दोहराया गया। पैरा 7 में यह देखा गया था , जो इस प्रकार हैः

"7. यह विनियमन 53 पर विचार करने के लिए छोड़ देता है। उक्त विनियम यह उपबंध करता है कि किसी अधिकारी के अनिवार्य रूप से आयु या कार्यकाल पूरा होने पर, सेवानिवृत्त होने पर यदि सेवानिवृत्ति पर सैन्य सेवा के कारण विकलांगता से पीड़ित है या उससे बढ़ी हुई विकलांगता से पीडित होना चिकित्सकीय सेवा अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाता है तो उसे पेशन के अतिरिक्त एक विकलांगता तत्व जैसे कि वह इस विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त हो गया था, दिया जावेगा। यह विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुआ, इसलिए सवाल जो विचारण के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या वह सेवा निवृति के समय सेना द्वारा जिम्मेदार या बढ़ी हुई विकलांगता से पीडित था जिसका सेवा चिकित्सा बोर्ड द्वारा अभिलिखित किया है। हमने पहले से ही चिकित्सा बोर्ड की राय को संदर्भित किया है जिसमें पाया गया कि दोनों विकलांगताएं जिनसे प्रत्यर्थी पीड़ित था, वे सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार या उग्र नहीं हो सकती है। अतः स्पष्ट है कि चिकित्सा बोर्ड की राय ने विनियम 53 की प्रयोज्यता को प्रत्यथी के मामलें में खारिज कर दिया। वे बीमारियाँ जिनसे वह पीड़ित था वह सेना द्वारा जिम्मेदार या बढ़े हुई नहीं पाई गई थी और संवैधानिक रोगों की प्रकृति की

थी। ऐसा होना चिकित्सा बोर्ड की राय, हमारे विचार में प्रत्यर्थी विनियमन 53 से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। इस कार्यवाही में मेडिकल बोर्ड की राय को खारिज नहीं किया गया है और इसलिए, यह आवश्यक है कि इसे स्वीकार किया जाए।"

कन्ट्रोलर ऑफ डिफेंस व अन्य बनाम एस. बालचंद्रन नायर, [2005] 13 एससीसी 128) में उपरोक्त उल्लेखित स्थिति को ध्यान में रखा गया है।

10- ऊपर उल्लेखित कानूनी स्थिति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मेडिकल बोर्ड की राय स्पष्ट रूप से इस आशय की थी कि प्रत्यर्थी को जो बीमारी हुई थी वह सैन्य सेवा के कारण नहीं थी, विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच दोनों अपने-अपने निष्कर्ष में उचित नहीं थे। प्रत्यर्थी विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, प्रत्यर्थी को जो विकलांगता पेंशन के रूप में भुगतान किया जा चुका है उसे प्रत्यर्थी से वसूली नहीं किया जायेगा।

11- प्रकरण के तथ्यों के मध्य नजर बिना हर्जे के अपील स्वीकार की गई।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मीनाक्षी जैन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।